राज्य के वित्त पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार

प्रतिवेदन संख्या 1 - वर्ष 2012

विषय-सूची

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन		III
कार्यकारी सारांश		V
अध्याय-I राज्य सरकार के वित्त		
चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेन का सार	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	4
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	8
संसाधनों का उपयोग	1.4	12
व्यय की गुणवत्ता	1.5	18
सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण	1.6	21
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.7	25
ऋण-वहन क्षमता	1.8	27
राजकोषीय असंतुलन	1.9	29
निष्कर्ष	1.10	32
अध्याय- II वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	35
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	35
वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबन्धन	2.3	36
विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन	2.4	43
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.5	45
बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ	2.6	46
चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम	2.7	47
निष्कर्ष	2.8	49
अध्याय- III वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.1	51
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.2	52
दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि	3.3	52
निष्कर्ष	3.4	53

परिशिष्ट		पृष्ठ
परिशिष्ट -1	राज्य का विवरण (उत्तराखण्ड)	55
परिशिष्ट 1.1	भाग अः शासकीय लेखों का प्रारूप एवं संरचना भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	56 57
परिशिष्ट -1.2	भाग अ: राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि भाग ब: राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	58 61
परिशिष्ट -1.3	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आंकड़े	64
परिशिष्ट -1.4	भाग अः वर्ष 2010-11 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग ब: 31 मार्च 2011 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	68 71
परिशिष्ट -1.5	वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य बजट से बाहरी कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों को दर्शाती विवरणी	73
परिशिष्ट -1.6	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के सारांशित वित्तीय विवरण	75
परिशिष्ट -2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें बचत ₹ 1 करोड़ से अधिक थी या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी	76
परिशिष्ट -2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ 1 करोड़ से अधिक था या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	78
परिशिष्ट -2.3	ऐसे प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान(प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	79
परिशिष्ट -2.4	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ 1 करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	80
परिशिष्ट -2.5	₹ 10 लाख या अधिक की बचत/आधिक्य में परिणत निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनिर्विनियोग	81
परिशिष्ट -2.6	वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण	84
परिशिष्ट -2.7	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण *(₹ 50 लाख या अधिक)*	86
परिशिष्ट -2.8	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ 10 करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया	87
परिशिष्ट-2.9	₹ 1 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया	88
परिशिष्ट-2.10	30/31 मार्च 2011 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	89
परिशिष्ट-2.11	व्यय की तीव्रता	90
परिशिष्ट-2.12	वर्ष 2010-11 तक के बकाया डी. सी. बिल	92
परिशिष्ट- 3.1	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखो के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण	93
परिशिष्ट-3.2	दुर्विनियोग, गबन आदि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण (वे मामलें जिनमें मार्च 2011 के अन्त में अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी)	94
परिशिष्ट-3.3	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	95
परिशिष्ट-4.1	शब्दावली	96